काम तो कोई नहीं लेकिन नाम के लिए मारामारी

केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर अब विधायक और पार्षद का अधिकार भी हथियाने में जुटे

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) काम नहीं लेकिन काम का ढिंढोरा पीटने में माहिर भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री किशन पाल गूजर अब पार्षद स्तर के विकास कार्यों का श्रेय भी अपने नाम दर्ज कराने की निर्लज्जता पर उतर आए लगते हैं। सामुदायिक केंद्र के विस्तारीकरण जैसे छोटे से कार्य का श्रेय किसी और को न दिया जाए इसके लिए बोर्ड पर सिर्फ अपना ही नाम दर्ज कराया। सांसद की इस अहंमन्यता से भाजपा विधायकों से लेकर स्थानीय नेताओं तक में बेचैनी है।

चुनावी वर्ष की शुरुआत होने के साथ ही भाजपा के जन प्रतिनिधि अपने को विकास पुरुष साबित करने की कवायद में जुट गए हैं। हाल ही में नगर निगम ने सेक्टर 28 स्थित सामुदायिक केंद्र का विस्तारीकरण कार्य पूर्ण कराया। विस्तारीकरण के इस कार्य का श्रेय लेने के लिए निवर्तमान पार्षद से लेकर अपनी विधानसभा क्षेत्र होने के कारण तिगांव विधायक राजेश नागर तैयारी कर रहे थे। संविधान की सातवीं अनूसूचि में भी सामुदायिक केंद्र आदि सार्वजनिक भवन निर्माण का क्षेत्राधिकारी राज्य का होने के कारण विधायक राजेश नागर बहुत आश्वस्त थे कि लोकार्पण कार्यक्रम में वह मुख्य अतिथि होंगे और पट्टिका पर भी उनका नाम सुनहरी अक्षरों में दर्ज होगा।

इधर नौ साल के कार्यकाल में कोई ढंग का विकास कार्य नहीं करा सके केंद्रीय मंत्री किशन पाल गूजर भी इसका श्रेय हथियाने में जुट गए। सांसद और मंत्री होने के कारण उन्होंने जिला उपायुक्त से लेकर निगमायुक्त तब सबको दबाव में लेकर छोटे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विस्तारीकरण का श्रेय अपने नाम करा लिया। यहां तक तो ठीक था लेकिन गूजरों के सिरमौर कहे जाने वाले किशनपाल ने अपने ही सजातीय विधायक की भी जड़ें काटते हुए न सिर्फ उन्हें कार्यक्रम से बाहर करवा दिया, पट्टिका से भी उनका नाम हटवा दिया। सांसद की जबदस्ती से विधायक राजेश नागर आहत तो हुए लेकिन खुल कर अपना विरोध भी नहीं दर्ज कर सके। जाहिर है कि नगर निगम का क्षेत्राधिकार होने के कारण इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी निगमायुक्त जीतेंद्र दहिया की थी। राजेश नागर जानते हैं कि चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है और नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आए 28 गांव उनकी ही विधानसभा क्षेत्र में है इनमें निगमायुक्त को ही विकास कार्य कराने हैं, ऐसे में निगमायुक्त को भी नाराज नहीं किया जा सकता। इन सबके बीच उन्होंने अपना अपमान किए जाने और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष को लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने दर्द दर्ज किया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया और न ही शिलापट्ट पर नाम अंकित कराया गया, यह प्रोटोकाल का उल्लंघन और विधायक होने के नाते उनका अपमान है। विधायक ने चिट्ठी लिख तो दी लेकिन इस पर कोई कार्रवाई होगी यह बड़ा प्रश्न है, वजह यह है कि खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र शून्य है और विरोध या समस्या उजागर करने वालों को हाशिए पर पहुंचाने या बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं लगती, यहां तो वही सफल होता है जो अपना जमीर मार कर नेतृत्व के सही-गलत फैसलों को देश हित में बताने का प्रोपेगंडा कर सकता है।

फर्जी प्रॉपर्टी आईडी: अधिकारियों तक पहुंचेगी जांच की आंच

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) नगर निगम में पुरानी प्रॉपर्टी आईडी से लिंक कर नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने का काला कारोबार चलने का मामला खुलता नहीं, अगर निगम कर्मचारी सीमा त्रिखा की चहेती से प्रॉपर्टी आईडी बनाने के 32 हजार रुपये नहीं ले लेते। मामला विधायक की खास का था तो निगम आयुक्त ने भी आनन-फानन एफआईआर दर्ज करा दी। लगता है कि प्रॉपर्टी आईडी बनाने की प्रक्रिया में जानबूझ कर कुछ खामियां छोड़ी गईं ताकि भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी फायदा उठाकर लूट कमाई कर सकें।

दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक सुषमा डुडेजा की प्रॉपर्टी आईडी बनाने में नगर निगम के कर्मचारी जयपाल के अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। प्रॉपर्टी आईडी बनाने में खेल ये किया गया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली रश्मि अरोड़ा नाम की प्रॉपर्टी आईडी खोली गई और फिर इसमें एनआईटी पांच फ्रूट गार्डन में रहने वाली सुषमा डुडेजा की प्रॉपर्टी आईडी लिंक कर उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल अपडेट कर दी गईं। इस अपडेट को अधिकृत करने के लिए फोन नंबर 8168301749 का इस्तेमाल किया गया। जयपाल यादव के नाम दर्ज यह नंबर वर्तमान में बंद है। बताते चलें कि जयपाल का स्थानांतरण 31 जनवरी 2023 को गुरुग्राम नगर निगम में हुआ था और उन्हें दो फरवरी 2023 को फरीदाबाद नगर निगम से रिलीव कर दिया गया था। एफआईआर के मुताबिक रश्मि अरोड़ा की प्रॉपर्टी आईडी से सुषमा डुडेजा की आईडी लिंक करने में मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है।

बताते चलें कि प्रॉपर्टी आईडी बनाना, अपडेट करना या लिंक करने का काम निगम के अधिकृत अधिकारी कर्मचारी ही कर सकते

जितेन्द्र दहिया
निगमायुक्त

हैं। बाहरी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाना इसलिए और भी मुश्किल हो जाता है कि संबंधित कर्मचारी के मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करने के बाद ही प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाला पेज लॉग इन किया जा सकता है। सवाल ये है कि जयपाल की आईडी उनके स्थानांतरण के बाद पांच माह तक कैसे चलती रही। क्या इसे जानबूझ कर फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनाने और लूट कमाई के लिए चालू रखा गया। किसी एक क्लर्क की इतनी औकात नहीं कि वह प्रॉपर्टी आईडी बनाने के पैंतीस-चालीस हजार रुपये अकेले डकार जाए। जाहिर है कि इस लूट कमाई का हिस्सा ऊपर तक पहुंचाया जाता है, तभी सबकुछ जानते बूझते ये खेल चलता आ रहा है। सुषमा डुडेजा की प्रॉपर्टी आईडी तो एक बानगी है शहर में इस तरह हजारों प्रॉपर्टी मोटा सुविधा शुल्क लेकर बनाई गई हैं।

नगर निगम के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक मोटी कमाई तो अन अप्रूव्ड कॉलोनियों की प्रॉपर्टी आईडी बनाने में होती है।

अनअप्रूव्ड होने के कारण इन कॉलोनियों की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन सकती। ऐसे में बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर मोटी रकम देकर इसी तरह अन अप्रूव्ड कॉलोनियों की जमीनों की प्रॉपर्टी आईडी बनवा रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी होने पर जमीन की रजिस्ट्री होने लगती है। निगम के कर्मचारी यूएलबी की प्रॉपर्टी आईडी बनाने की प्रक्रिया की खामियों का फायदा उठा कर ऐसा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार किसी भी पुरानी प्रॉपर्टी आईडी को खोल कर पहले उससे दूसरी प्रॉपर्टी आईडी लिंक की जाती है और फिर उसके लिए नई प्रॉपर्टी आईडी जेनरेट कर दी जाती है। यही सब सुषमा डुडेजा के मामले में हुआ। प्रॉपर्टी आईडी बनाने का सारा खेल यूएलबी की आधिकारिक वेबसाइट के पेज प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर किया जा रहा है।

बताते चलें कि यूएलबी को ये सेवाएं मेसर्स एयरनेट इंटरनेट नामक सेवा प्रदाता कंपनी देती है। सेवा प्रदाता कंपनी का कहना है कि प्रॉपर्टी आईडी आईपी एड्रेस 106.206.141.193 के जरिए बनाई गई जो नगर निगम का आईपी एड्रेस नहीं है। इसका मतलब प्रॉपर्टी आईडी बनाने का काम नगर निगम के अधिकृत कंप्यूटरों के साथ ही बाहर के अनाधिकृत कंप्यूटर सिस्टमों से भी किया जा रहा है यानी यूएलबी और नगर निगम के साइबर क्षेत्राधिकार में घुसपैठ की गई, यह निगम कर्मचारी, सेवा प्रदाता कंपनी के कर्मचारियों की संलिप्तता की ओर इशारा करता है। अब देखना ये है कि निगमायुक्त की शिकायत पर पुलिस केवल सुषमा डुडेजा के मामले की ही जांच करेगी या फिर नगर निगम में चल रहे प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर लूट कमाई के इस धंधे की पूरी गंभीरता से जांच कर इसमें शामिल भ्रष्ट अधिकारियों को सामने लाएगी या ये भी खट्टर की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के दावे की तरह झूठी साबित होगी।

साइकिल ट्रैक तो सफल हुआ नहीं, ग्रीन बेल्ट भी बर्बाद कर डाली

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) सेक्टर 12 में बनाया गया साइकिल ट्रैक साइकिल सवारों के तो नहीं लेकिन अवैध वाहन स्टैंड संचालकों, ढाबा, कार धुलाई सेंटर वालों के काम आ रहा है। यही नहीं बिजली निगम ने भी इस ट्रैक का उपयोग अपने हाई टेंशन केबल बिछाने के लिए कर रखा है। जिस तरह बिना अध्ययन और पूर्व तैयारी के ही साइकिल ट्रैक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई और निर्माण किया गया, इसका दुरुपयोग तो होना तय था।

सेक्टर 10-12 डिवाइडिंग रोड पर सेक्टर 12 के छोर पर करीब 25 लाख रुपये की लागत से साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया गया था। अमूमन साइकिल ट्रैक मुख्य मार्ग के साथ साथ ही बनाया जाता है लेकिन यहां अधिकारियों ने मुख्य मार्ग के बाद फुटपाथ के पीछे स्थित ग्रीन बेल्ट की जगह में साइकिल ट्रैक बनाने की योजना तैयार की थी। बाटा मोड़ पर स्थित ढाबा, कार धुलाई सेंटर, पान की दुकान के ठीक सामने से गुजरते हुए इसे शुरू किया गया। नतीजा ये हुआ कि साइकिल ट्रैक की शुरूआत में ही इन दुकानों ने कब्जा कर लिया। दुकानें खुलते ही ट्रैक पर मेज कुर्सी सज जातीं, धुलाई के लिए कार , बाइक आदि वाहन खड़े कर दिए जाते। एसआरएस मॉल के लिए जाने वाली सड़क पार करने के बाद ग्रीन बेल्ट में बनाए गए इस साइकिल ट्रैक के आसपास गरीब, मजदूर और आसपास रेहड़ी लगाने वालों ने अपनी अस्थायी झुग्गियां बसा लीं । यह ट्रैक इन परिवारों की कर्मस्थली बन गया ये लोग यानी बर्तन धोने, बच्चों के

खेलने, कपड़े सुखाने आदि में इसका इस्तेमाल करते हैं। हूडा कन्वेंशन हॉल वाले मोड़ पर इस ट्रैक के पास चाय, पान की दुकान पर आने वाले ग्राहक अपनी बाइक आदि खड़ी करते हैं।

सेक्टर 12 लघु सचिवालय से लेकर न्यायालय परिसर होते हुए खेल परिसर की ओर जाने वाली सड़क तक इस साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल पार्किंग माफिया वाहनों की अवैध पार्किंग में कर रहे हैं। न्यायालय परिसर वाले मार्ग पर तो साइकिल ट्रैक कार और बाइक की पार्किंग के कारण बंद हो जाता है। यदि वाहन हटा भी दिए जाएं तो यहां ट्रैक पर इतनी गंदगी पड़ी रहती है कि कोई इस पर चलने की हिम्मत नहीं कर सकता। दरअसल न्यायालय और लघु सचिवालय परिसर के आसपास रेहड़ी, खोमचे लगाने वाले दुकानदार यहां अपना कचरा फेकते हैं। अतिक्रमण, अवैध कब्जों से जूझ रहे साइकिल ट्रैक को बिजली निगम ने भी चलने लायक नहीं छोड़ा। निगम में अंडरग्राउंड गुजारे जाने वाले हाईटेंशन लाइन केबल इस ट्रैक के ऊपर ही डाल कर छोड़ दिए। टायरों से रगड़कर इन केबलों की रबड़ की ऊपरी परत भी कट चुकी है और इनके अंदर लोहे के तार दिखाई दे रहे हैं। ये तो गनीमत है कि ट्रैक पर बहुत ही कम साइकिलें चलती हैं, फिर भी ये खुल चुके केबल किसी हादसे का सबब बन सकते हैं।

सवाल ये पैदा होता है कि क्या साइकिल ट्रैक की आवश्यकता मात्र शहर के इसी दो किलोमीटर के हिस्से में ही होनी चाहिए? विभिन्न सेक्टरों सें आने वाले साइकिल चालक कौन से साइकिल ट्रैक से आकर इस साइकिल ट्रैक पर पहुंचेंगे? आज के दिन के कोई बताने की बात नहीं रह गई है, फुटपाथ और साइकिल ट्रैक नागरिकों की एक बड़ी आवश्यकता है जिसको पूरे शहर में नजर अंदाज किया गया है। दुनिया भर में कायदा तो ये होता है कि जब भी सड़क का निर्माण हो ये दोनों सुविधाएं उसके साथ ही उपलब्ध कराई जाएं।

ऐसा भी नहीं है कि यहां सड़कों के किनारे कुछ जगह की कमी हो। सड़कों के किनारे पर्याप्त पयाप्त होने के बावजूद किसी भी सरकार ने फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाने पर ध्यान नहीं दिया। हां, सड़कों के किनारे खाली पड़ी जमीन पर रेहड़ी, पार्किंग, अतिक्रमण, अवैध निर्माण का कब्जा है, और कुछ नहीं तो दुकानदारों ने अपने सामने दस-दस फुट की जगह घेर ली है ताकि पैदल चलने वालों को भी रास्ता न मिल सके। अधिक हो हल्ला मचने पर अब कहीं जाकर स्मार्ट सिटी के नाम पर दो चार सड़कों पर जरूर नुमाइशी फुटपाथ व साइकिल ट्रैक बना दिए गए हैं जिन पर कब्जे होने शुरू हो गए हैं।

पूरी सड़क पर जगह-जगह बरसाती पानी खड़ा है। जिसकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, जो यहीं पर सूखेगा।